

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित : 24 अप्रैल, 2014

निर्णय : 30 मई, 2014

आप.अ.680/2012

प्रभु दयाल शर्मा

.....अपीलार्थी

द्वारा: श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता के  
साथ श्री सुदर्शन राजन, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

आप.अ..689/2012

जसवीर

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री दयान कृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ  
श्री सुदर्शन राजन, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

सुरक्षित : 26 मार्च, 2014

निर्णय : 30 मई, 2014

**आप.अ.857/2012**

जसबीर सिंह

..... अपीलार्थी

द्वारा: मोहम्मद सलीम, अधिवक्तागण साथ मो. तबरेज,  
अधिवक्ता

बनाम

दिल्ली राज्य (दिल्ली प्रशासन) और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

**आप.अ.676/2012**

महाबीर

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री सुदर्शन राजन, अधिवक्ता के साथ  
मोहम्मद कमर अली, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

**आप.अ.675/2012**

राजेश कुमार उर्फ राजू

..... अपीलार्थी

आप.अ. सं 680/2012 और संबंधित अपीलों

पृष्ठ 2 का 21

द्वारा: श्री सुदर्शन राजन, अधिवक्ता के साथ मोहम्मद  
कमर अली, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

और

आप.अ.1036/2012

रमेश किरार

.....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अशोक कुमार आर्य, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति एस.पी.गर्ग

एस.पी.गर्ग, न्या.

1. आपराधिक अपील संख्या 680/2012, 689/2012, 676/2012 और 675/2012 में, प्रभु दयाल शर्मा (ए-1), जसवीर (ए-2), महाबीर (ए-3) और राजेश कुमार उर्फ राजू (ए-4) ने प्राथमिकी संख्या 70/06 थाना पहाड़गंज से उत्पन्न सत्र

मामला संख्या 8/11 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 23.05.2012 के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी, जिसके द्वारा उन्हें धारा 325/34 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 24.05.2012 के आदेश द्वारा उन्हें जुर्माने के साथ डेढ़ वर्ष सश्रम कारावास और 15,000/- रुपये, प्रत्येक सजा सुनाई गई।

2. जसबीर सिंह (ए-2) ने आप.अ. संख्या 857/2012 दायर किया है। धारा 372 दं.प्र.सं. प्राथमिकी संख्या 69/06 थाना पहाड़गंज से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 9/11 में दिनांक 23.05.2012 के निर्णय को चुनौती देने के लिए, जिसके द्वारा रमेश किरार (प्रत्यर्थी सं. 2) को आरोप से बरी कर दिया गया। शिकायतकर्ता – रमेश किरार ने धारा 372 दं.प्र.सं. के तहत आप.अ.संख्या 1036/2012 को भा.दं.सं. की धारा 308/34 के तहत ए-4 के बरी होने और प्राथमिकी सं.70/06 थाना पहाड़गंज में उन्हें दी गई सजा को बढ़ाने के लिए चुनौती दिया है।

चूंकि ये सभी अपीलें आंतरिक रूप से जुड़ी हुई थीं, इसलिए पक्षों की सहमति से इन्हें एक साथ सुना गया और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया।

3. विवरण से परे, प्राथमिकी संख्या 70/06 थाना पहाड़गंज में आरोप पत्र में परिलक्षित अभियोजन का मामला यह था कि 17.02.2006 को लगभग 08.00 बजे दुकान सं. 5, उदय सिंह आश्रम चौक, आराम बाग, पहाड़गंज के पास, ए-1 से ए-4 ने साझा इरादे से हत्या करने के गैर इरादतन प्रयास में लोहे की छड़ और डंडों से रमेश किरार को घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस

हरकत में आयी और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में प्रातः 08.32 बजे दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 8ए (प्र.अभि.सा.-8/ए) दर्ज किया गया कि उदय सिंह आश्रम, आराम बाग में झगड़े में एक व्यक्ति के सिर पर चोट लगी थी। मामले की जांच सहा.उप.नि. धर्मबीर सिंह को सौंपी गई, जो कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें पता चला कि पीड़ित को पहले ही डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। सहा.उप.नि. धर्मबीर सिंह ने रमेश किरार की चिकित्सा विधिक मामला ले ली। चूंकि वह बयान देने के लिए अयोग्य था, इसलिए जांच अधिकारी ने डीडी सं. 8ए (प्र.अभि.सा.--8/ए) पर पृष्ठांकन (प्र.अभि.सा.-8/बी) करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की जांच को उप.नि. एसपी सिंह ने संभाला। दिनांक 22-02-2006 को पीड़ित रमेश किरार का बयान दर्ज किया गया। ए-1 से ए-4 को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद, उनके खिलाफ भा.दं.सं.की धारा 308/34 के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था; उन पर विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण के लिए बुलाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपना अपराध साबित करने के लिए चौदह गवाहों से पूछताछ की। 313 बयानों में, आरोपी व्यक्तियों ने झूठे आरोप लगाए और अपराध में उनकी भागीदारी से इनकार किया; ए-3 और ए-4 ने "अन्यत्र उपस्थित होने " की दलील दी। बचाव में प्र.सा.-1 से प्र.सा.-6 की जांच की गई। विचारण के परिणामस्वरूप उपरोक्त भा.दं.सं. की धारा 325/34 के तहत ए-1 से ए-4 को दोषी

ठहराया गया। व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, उन्होंने अपील को प्राथमिकता दी है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/06 थाना पहाड़गंज के मामले में जैसा कि आरोप पत्र में खुलासा किया गया है, अभियोजन का मामला यह था कि दिनांक 17-02-2006 को प्रातः लगभग 08.00 बजे दुकान संख्या 5, उदय सिंह आश्रम चौक, आराम बाग, पहाड़गंज के निकट रमेश किरार ने जसवीर(ए-2) को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई थी जो कि साधारण थी, ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से किया था। जब अभि.सा -8 (सहा.उप.नि. धर्मबीर सिंह) डॉ. राम मनोहर के पास गए लोहिया अस्पताल ने डीडी सं. 8ए (-प्र.अभि.सा.8/ए) के अनुसार जांच के असाइनमेंट के बाद, जसवीर (ए-2) को इलाज के लिए वहां भर्ती पाया। उन्होंने अपना चिकित्सा विधिक मामला एकत्र किया और रुक्का (प्र.अभि.सा.-6/ए) भेजकर अपना बयान (प्र.अभि.सा.-2/ए) दर्ज करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच खत्म होने के बाद, रमेश किरार के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई; उस पर विधिवत आरोप लगाया गया और परीक्षण के लिए लाया गया। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से पूछताछ की। 313 बयान में, रमेश किरार ने खुद को निर्दोष होने का दावा किया और बचाव में प्र.सा.-1 (एचसी अरविंद) और प्र.सा.-2 (डॉ अजय गंडोत्रा) की जांच की। विचारण के परिणामस्वरूप उन्हें बरी कर दिया गया। पीड़ित और असंतुष्ट होने के कारण, पीड़ित ने बरी होने को चुनौती दी

है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि राज्य ने दिनांक 23.05.2012 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर करना पसंद नहीं किया।

5. आ.अ.संख्या 1036/2012 में, भा.दं.सं. की धारा 308/34 के तहत ए-1 से ए-4 के बरी होने को चुनौती देते हुए, पीड़ित-रमेश किरार ने बढी हुई सजा का दावा किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान परामर्शदाताओं को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेखों की जांच की है। मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों की जांच की है। घटना 17.02.2006 को सुबह लगभग 08.00 बजे उदय सिंह आश्रम चौक, आराम बाग, पहाड़गंज के पास हुई। सुबह 08.32 बजे थाना पहाड़गंज में घटना के बारे में तत्परता से डीडी नंबर 8ए (प्र.अभि.सा.-8/ए) दर्ज किया गया। झगड़े के बारे में सूचना मिलने पर जिसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोटें आई थीं, पीसीआर फॉर्म (प्र.अभि.सा.-11/ए) सुबह 08.28 बजे भरा गया। इसमें आगे कहा गया है कि हमलावर रमेश किरार को पीटने के बाद मौके से भाग गए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अभि.सा. -1 (ओम प्रकाश), अपने चचेरे भाई से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद मौके पर गया और रमेश को दुकान सं. 5, आराम बाग के सामने किरार को घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। उसने रमेश किरार को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-13/ए) द्वारा मरीज( रमेश किरार) को अस्पताल में पहुंचने का समय सुबह 8:40 दर्ज है। ओम प्रकाश का नाम चिकित्सा विधिक मामला में 'द्वारा लाया

गया' कॉलम में पाया गया है। चिकित्सा विधिक मामला के पृष्ठांकन के अनुसार, रमेश किरार 17.02.2006 को बयान देने के लिए 'अयोग्य' थे। अभि.सा.-6 (डॉ. कल्याणी) ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच की, जिसे चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-6/ए) द्वारा कथित 'हमले' के इतिहास के साथ अस्पताल लाया गया था। अभि.सा.-6 (डॉ. कल्याणी) ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच की, जिसे चिकित्सा विधिक मामले(प्र.अभि.सा.-6/ए) द्वारा कथित 'हमले' के इतिहास के साथ अस्पताल लाया गया था। स्थानीय जांच में पाया गया कि उनके बाएं पैर, दाहिने टखने के जोड़, दाहिने घुटने के जोड़, दाहिने पैर में खरोंच है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है; दाएं घुटने के जोड़, टखने के जोड़, बाएं रेडियस अल्ना पर प्रतिबंध और हाथ के दाहिने हिस्से में सूजन थी। अभि.सा.-13 (डॉ. पंकज बंसल) की राय में चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। जाहिर तौर पर, इस घटना में रमेश किरार के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तीन फ्रैक्चर हुए जो 'गंभीर' प्रकृति के थे। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं आया है कि ये चोटें खुद को लगी थीं या आकस्मिक थीं। ए-2, जिसने 313 बयान में प्राथमिकी संख्या 69/06 के तहत प्रति-मामला दर्ज कराया, रमेश किरार को लगी चोटों से इनकार नहीं किया। रमेश किरार के शरीर के विभिन्न हिस्सों में तीन फ्रैक्चर हो गए जो गंभीर प्रकृति के थे। हालाँकि, उन्होंने दलील दी कि रमेश किरार पर उनके सहयोगियों द्वारा हमला किया गया था, जिन्हें उन्होंने संबंधित संपत्ति बेची थी और अग्रिम भुगतान लिया था, लेकिन इसका कब्ज़ा सौंपने की स्थिति में नहीं थे। प्राथमिकी संख्या 69/06 में दर्ज शिकायत (प्र.अभि.सा.-2/ए) में, ए-2 ने दलील दी कि रमेश किरार को निजी



बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए लाठी से चोटें पहुंचाई गईं, जब उन्होंने चाकू से उन पर वार किया।

7. इस बात का पता लगाना महत्वपूर्ण है कि रमेश किरार को चोट पहुँचाने के लिए अपराध करने वाला कौन था। मुख्य गवाह रमेश किरार है, जिसने शपथ पर बयान दिया कि जब 17.02.2006 को वह दाढ़ी बनवाने और मासिक किराया लेने के लिए नाई (अभि.सा.-2 यामीन) के पास गया था, तो ए-2 ने उसे दुकान के बाहर खड़े ए-1 से मिलने के बहाने बाहर बुलाया। उन्होंने याद किया कि बाहर आने के बाद उन्होंने ए-3 और ए-4 के साथ ए-1 को खड़ा देखा। ए-1 जोर से चिल्लाया "मारो साले को आज बच के ना जाने पाए" उसके ऐसा कहने पर ए-2 ने उसे कंधे से पकड़ लिया और ए-2 और ए-3 ने उसे रॉड और डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसके सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। उसे कोई व्यक्ति अस्पताल ले गया जहां उसका बयान 22-02-2007 को लिया गया। रमेश किरार से विभिन्न तिथियों पर उन तथ्यों पर गहराई से जिरह की गई जो तथ्य-मुद्दे से संबंधित नहीं हैं। उनसे मुख्य रूप से अखाड़े की संपत्ति के स्वामित्व/कब्जे के विवाद के संबंध में पूछताछ की गई थी। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था और संबंधित संपत्ति के संबंध में सिविल कार्यवाही पहले से ही लंबित थी, इसलिए ये प्रश्न संबंधित घटना के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक नहीं थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह 17.02.2006 से 22.02.2006 तक बेहोश रहा। 02-03-2006 को डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने खेत्रपाल अस्पताल से नियमित उपचार करवाया। उन्होंने इस बात से

इनकार किया कि उन्हें "पक्षकारों" द्वारा पीटा गया था, जिससे उन्हें बयाना धन मिला था और वह अखाड़े का कब्जा उन्हें देने में असमर्थ थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि ए-3 और ए-4 घटना के दिन गुरुमुनि की प्रतिमा के लिए कपड़े खरीदने जयपुर गए थे। जाहिर है, घायल गवाह द्वारा सुनाए गए संस्करण को बदनाम करने के लिए जिरह में कोई भौतिक विरोधाभास या विसंगतियां सामने नहीं लाई जा सकती थीं। कथित हमलावरों के नाम नहीं बताए गए, जिनसे शिकायतकर्ता ने अखाड़े का कब्जा सौंपने के लिए कोई अग्रिम राशि प्राप्त की थी। पीड़ित, जिसके शरीर पर कई फ्रैक्चर थे, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह असली अपराधियों को छोड़ देगा और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाएगा। 22.02.2006 को बयान दर्ज करने में हुई देरी के बारे में बताते हुए, अभि.सा.-14 (उप.नि. एस.पी.सिंह, जांच अधिकारी) ने खुलासा किया कि 17.02.2006 से 20.02.2006 तक वह कोई भी बयान देने के लिए चेतना में नहीं थे। पर 22-02-2006 से यद्यपि वह बयान देने के लिए शारीरिक रूप से फिट तो थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण उन्होंने इसे 22-02-2006 को रिकार्ड किया। दिनांक 22-02-2006 को शिकायतकर्ता स्पष्ट और निश्चित था कि हमलावर कौन थे और उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। बयान दर्ज करने में हुई देरी को स्पष्ट कर दिया गया है और उसे स्वीकार किया जा सकता है। एक स्टाम्पित गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता है। घायल गवाह की गवाही को कानून में एक विशेष दर्जा दिया गया है। यह इस तथ्य का परिणाम है कि गवाह को चोट लगना अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी

है और क्योंकि गवाह नहीं चाहेगा कि वास्तविक हमलावर को अपराध के लिए किसी तीसरे पक्ष को केवल झूठे आरोप में शामिल करने के लिए दंडित किए बिना छोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश और अन्य (2011) के मामले में 4 एससीसी 324 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया:

"एक घायल गवाह के साक्ष्य को एक स्टाम्पित गवाह होने के नाते उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार, उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उनके बयान को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह संभावना नहीं है कि उसने किसी और को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ दिया हो। एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता है क्योंकि उसने घटना के समय और स्थान पर लगी चोटें यह उसकी गवाही का समर्थन करता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, एक घायल गवाह की गवाही को कानून में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल अपराध के कमीशन के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए दंडित नहीं होने देना चाहेगा या नहीं जाने देना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य की अस्वीकृति के लिए आधार न हों।

8. "अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एससीसी 259, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"घटना के दौरान घायल हुए एक गवाह के साक्ष्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पर इस न्यायालय द्वारा बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है। जहां घटना का एक गवाह खुद घटना में घायल हो गया है, ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक गवाह है जो अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आता है और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर (ओं) को छोड़ने की संभावना नहीं है। "एक घायल गवाह को बदनाम करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है".

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, शिकायत में ए-2 (प्र.अभि.सा.-2/ए) (प्राथमिकी सं.69/06) ने दुकान सं. 5 में अपनी उपस्थिति स्वीकार की, जहां रमेश किरार, पीड़ित उससे मिला था। उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया कि उनके पूछने पर रमेश किरार ने हिसाब-किताब करने से इनकार कर दिया और उनके साथ गाली-गलौज करने लगे। इस पर कहासुनी हो गई। रमेश किरार ने पीछे की जेब से चाकू निकाला और उसकी पीठ पर वार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि निजी रक्षा में, उन्होंने मौके पर पड़ी एक "लाठी" उठाई और उसके पैर पर वार किया। जाहिर है, ए-2 द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत कि रमेश किरार के सहयोगियों ने अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद कब्जा सौंपने में असमर्थता के कारण उसके साथ मारपीट की, पूरी तरह से गलत साबित हुआ। अभि.सा.-2 (यामीन) ने रमेश किरार और जसवीर (ए-2) के बीच झगड़े की भी बात कही।

उसने दोनों का समर्थन किया और खुलासा किया कि रमेश किरार और जसवीर को उक्त हाथापाई में चोटें आईं। हालांकि, वह इस बारे में स्पष्ट रूप से चुप रहा कि किसने किसको चोटें पहुंचाईं। ऐसा प्रतीत होता है कि यामीन ने किसी भी पक्ष को नाराज़गी से बचाने के लिए सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, क्योंकि दुकान में किराएदार होने के कारण, दोनों ही उस पर स्वामित्व/कब्जे का दावा कर रहे थे। उसके बयान के अनुसार, वह रमेश किरार और जसवीर (ए-2) के माध्यम से अखाड़ा अधिकारियों को किराया दे रहा था।

9. शिकायतकर्ता – रमेश किरार ने अपराध में प्रत्येक हमलावर को एक विशिष्ट और सकारात्मक भूमिका सौंपी। वह यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त निष्पक्ष था कि केवल ए -3 और ए -4 लोहे की छड़ और डंडे से लैस थे। ए-1 ने उन्हें नसीहत दी थी "मारो साले को आज बच के ना जाने पाए"। ए-2 को जो भूमिका सौंपी गई थी, वह यह थी कि उसने उस समय उसे पकड़ लिया था। पीड़ित के पास ए-3 और ए-4 को गलत तरीके से फंसाने के लिए कोई बाहरी विचार नहीं था, उसके साथ उसकी कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। वास्तव में, यह ए-3 और ए-4 ही थे जिन्होंने पीड़ित को कई फ्रैक्चर पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कि ए-1 से ए-4 ने स्वेच्छा से पीड़ित को चोटें पहुंचाईं, को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

10. ए-3 और ए-4 ने "अन्यत्र उपस्थिति" की दलील ली और दावा किया कि घटना के दिन वे मूर्ति के लिए कपड़े खरीदने जयपुर गए थे। उन्होंने प्र.सा.-5 (राजीव साबिखी) की जांच करके यह साबित किया कि 16.02.2006 को वे उनके 'होटल

रेजीडेंसी इन' के कमरा सं. 109 में रुके थे जैसा कि प्र.प्र.सा.-5/ए में दर्शाया गया है। उन्होंने दिनांक 16-02-2006 को दस्तावेजों (चिन्ह-ए और चिन्ह-बी) के तहत उसके दुकान से कतिपय वस्तुओं की खरीद को सिद्ध करने के लिए जयपुर से प्र.प्र.सा.-2 (घनश्याम शर्मा) की भी जांच की। प्र.सा.-6 (श्री विवेक गुप्ता) ने कुछ वस्तुओं की खरीद को साबित करने के लिए बिल संख्या 53 दिनांक 16.02.2006 (चिन्ह प्र.सा.-6/ए) की फोटोकॉपी साबित की। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया और वैध कारणों से दलील को सिरे से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के सबूतों पर विस्तार से विचार किया और वैध कारणों से याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ए-3 और ए-4 ने अखाड़ा के किसी भी गवाह से यह साबित करने के लिए पूछताछ नहीं की कि क्या उन्हें मूर्ति के लिए आभूषण/कपड़े खरीदने के लिए जयपुर जाने के लिए नियुक्त किया गया था या उस उद्देश्य के लिए उन्हें कोई विशिष्ट राशि सौंपी गई थी। उन्होंने यह दिखाने के लिए प्रासंगिक गवाहों की भी जांच नहीं की कि क्या ऐसी कोई वस्तु खरीदी गई थी और उनके द्वारा वापस लाई गई थी। अखाड़े से ऐसी किसी भी वस्तु की खरीद और ए-3 और ए-4 को इसके भुगतान को दर्शाने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। ए-3 और ए-4 के परिवहन के किस साधन से कुछ भी पता नहीं चला है जयपुर के लिए उनकी आने-जाने की यात्रा की। यह भी खुलासा नहीं किया गया कि वे किस तिथि को और किस समय जयपुर के लिए रवाना हुए थे और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचे थे। जो यात्रा कि गई है उसके लिए कोई टिकट/आरक्षण टिकट रिकॉर्ड

में नहीं रखा गया है। प्र.सा. -2, 5 और 6 की गवाही ठोस और विश्वसनीय नहीं है। ए-3 और ए-4 के पास वस्तुओं की खरीद के लिए प्र.सा.-3 से दो अलग-अलग नामों में दो अलग-अलग बिल प्राप्त करने का कोई ठोस कारण नहीं था, जबकि ये मूर्ति के लिए थे न कि व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए। यह अविश्वसनीय है कि प्र.सा.-2 (घनश्याम शर्मा) घटना के लगभग पांच साल बाद न्यायालय में अपनी जांच के दौरान नियमित वस्तुओं की खरीद के लिए उनकी दुकान पर आने वाले नियमित/आकस्मिक ग्राहकों में केवल एक अवसर पर खरीदारी करने आये ग्राहक की पहचान करने में सक्षम होगा। दस्तावेज़ (चिन्ह प्र.सा.-5ए एक ढीली शीट है और इसमें होटल में आने वाले आगंतुकों के माता-पिता या पते का विवरण नहीं है। इस पर ए3 या ए4 के हस्ताक्षर नहीं हैं। माना कि प्र.सा.-5 (राजीव साबिखी) को ए-3 और ए-4 लंबे समय से जानते थे। बहाना बनाने के लिए दस्तावेज़ में हेरफेर/मनगढ़ंत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता अत्यधिक संदिग्ध है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक बार जब शिकायतकर्ता के विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा घटना स्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति संतोषजनक रूप से स्थापित हो जाती है, तो यह उस पर निर्भर था कि वे पूर्ण निश्चितता के साथ "अन्यत्र उपस्थिति" की दलील को साबित करे। अन्यत्र उपस्थिति की दलील को ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रासंगिक समय पर घटना स्थल पर आरोपी व्यक्तियों की संभावना को पूरी तरह से शामिल नहीं किया

जाना चाहिए। ए-3 और ए-4 द्वारा स्थापित "अन्यत्र उपस्थिति " की दलील एक बाद में सोचा गया और अविश्वसनीय लगता है।

11. ए-2 ने शिकायत दर्ज कराई (प्र.अभि.सा.-2/ए) जो प्राथमिकी संख्या 69/06 के पंजीकरण का आधार बना। शिकायत में, ए-2 ने खुलासा किया कि जब वह अभि.सा.-2 (यामीन) की दुकान पर गया, तो ए-2 ने हिसाब चुकाने के लिए कहने पर उस पर चाकू से वार किया। विचारण न्यायालय ने ठोस कारणों से शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया और रमेश किरार को आरोप से बरी कर दिया। ए-2 ने स्वीकार किया कि निजी रक्षा में उसने रमेश किरार के पैर पर लाठी मारी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में और कैसे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में कई जगह फ्रैक्चर हुए। उसने मौके से आनन-फानन में घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। दैनिक डायरी (डीडी) संख्या 8ए (प्र.अभि.सा.) को सुबह 08.32 बजे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जो घटनास्थल पर पड़े एक व्यक्ति द्वारा लगी चोटों से संबंधित था। पीसीआर फॉर्म (प्र.अभि.सा.-11/ए) में घायल का नाम रमेश किरार बताया गया। न तो पीसीआर फॉर्म (प्र.अभि.सा.-11/ए) और न ही दैनिक डायरी (डीडी) सं.8ए(प्र.अभि.सा.8/ए) यह दर्ज करता है कि घटना में किसी और को चोट लगी है या नहीं। ए-2 ने अपने किसी भी रिश्तेदार को घटना के बारे में सूचित नहीं किया और टीएसआर के लिए अकेले डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया और खुद को वहां भर्ती कराया। विधिक चिकित्सा मामला (प्र.अभि.सा.5/ए) रोगी ए (जसवीर) के आगमन समय सुबह 09.05 बजे दर्ज करता है; उन्हें बयान के लिए



फिट घोषित किया गया था प्रातः 10.15 बजे इसके विपरीत, रमेश किरार के विधिक चिकित्सा मामला , जिन्हें ओम प्रकाश (अभि.सा. -1) द्वारा लिया गया था,रोगी के आगमन समय सुबह 08.40 बजे दर्ज करता है। ए-2 ने डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचने में देरी के बारे में नहीं बताया। अभि.सा. -8 (सह उप.नि. धर्मबीर सिंह) जिन्हें ए-2 का बयान दर्ज करने के बाद जांच सौंपी गई थी, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह सुबह लगभग 08.30 बजे उदय सिंह आश्रम चौक, आराम बाग, पहाड़गंज के पास दुकान सं. 5 पर पहुंचा था, राम मनोहर लोहिया उस घटनास्थल से दो या तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। कोई भी चश्मदीद गवाह यह बताने के लिए सामने नहीं आया कि रमेश किरार ने ए-2 को चोट पहुंचाई थी। अपने न्यायालय अभिकथन में (मामले में दर्ज प्राथमिकी सं. 69/06 थाना पहाड़गंज) में, ए-2 ने असंगत बयान दिया कि पीठ और गर्दन पर चाकू से वार करने के बाद, वह नीचे गिर गया और उसे "किसी के" द्वारा अस्पताल ले जाया गया। ऐसा दावा उस बयान (प्र.अभि.सा.-2/ए) के विपरीत है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह टीएसआर के लिए वह स्वयं अस्पताल गया था। मौके से कोई चाकू बरामद नहीं हुआ है। पीड़ित – रमेश किरार घटनास्थल पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके पास ऐसा कोई चाकू नहीं मिला। यह ए-2 के बयान को झुठलाता है कि उसे पीड़ित रमेश किरार ने चाकू से घायल किया था। अभियोजन पक्ष संदेह से आगे जाकर यह स्थापित करने में विफल रहा कि पीड़ित रमेश किरार ए-2 की चोटों का सूत्रधार था। प्राथमिकी संख्या 69/06 थाना पहाड़गंज से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 9/11 में दिनांक 23.05.2012 के आक्षेपित निर्णय में

ठोस कारणों से रमेश किरार को बरी करना साक्ष्य के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. आप.अ.संख्या 1036/2012 में अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि ए-1 द्वारा यह कहा जाना "मारो साले को आज बच के ना जाने पाए" पर, पीड़ित को कई चोटें पहुंचाई गईं और इसने धारा 308 भा.दं.सं. के तत्वों को आकर्षित किया। प्रस्तुतियाँ गुणों से रहित हैं। पीड़ित के महत्वपूर्ण अंगों पर कोई चोट नहीं आई थी। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित की दाहिनी जांघ, दाहिनी टिबिया और मेटाकार्पल हड्डियों में तीन फ्रैक्चर हुए। चोटें प्रकृति में "गंभीर" थीं और सामान्य तौर पर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर कोई ऐसा साक्ष्य स्थापित/प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि चोटें पीड़ित को मारने के पक्के इरादे से और जानबूझकर पहुंचाई गई थीं। झगड़े की घटना अभि.सा.-2 (यामीन) द्वारा चलाई जा रही दुकान पर हुई थी, जहां पीड़ित नियमित रूप से दाढ़ी बनाने के लिए गया था और हमलावरों को हमले की पूर्व योजना बनाने के लिए उसके आने की भनक तक नहीं लगी थी। ए-1 और ए-2 के पास कोई हथियार नहीं था। विवाद तब पैदा हुआ जब ए-1 ने रमेश किरार को मिले किराए का हिसाब चुकता करने को कहा। उक्त हाथापाई में पीड़ित को स्वेच्छा से चोटें पहुंचाई गईं। दोनों पक्ष एक-दूसरे से परिचित थे और घटना से पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी। दोनों के बीच किसी तरह के बैर या लंबे समय से चली आ रही किसी तरह की शत्रुता का कोई इतिहास नहीं था। संबंध तब तनावपूर्ण हो गए जब दोनों ने अखाड़े की संपत्ति पर

स्वामित्व का दावा किया और सिविल प्रक्रिया शुरू कर दी। इन परिस्थितियों से, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि दोषियों के पास धारा 308 भा.दं.सं. को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित इरादा या जानकारी थी।

13. दोषियों को भा.दं.सं.की धारा 325/34 के तहत डेढ़ साल के सश्रम कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। ए-1 की उम्र करीब 72 साल थी। उनमें से कोई भी आदतन अपराधी नहीं था या किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं था। यह घटना अखाड़े की संपत्ति से संबंधित हिसाब-किताब के निपटान पर हुई थी। जिन तथ्यों और परिस्थितियों में विवाद उत्पन्न हुआ, उन पर विचार करते हुए, मुझे विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने की अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

14. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, परीक्षण के निष्कर्ष न्यायालय ने भा.दं.सं.की धारा 325/34 के तहत ए-1 से ए-4 को दोषी ठहराया है। सजा के आदेश को संशोधित करने की याचिका की ओर मुड़ते हुए, ए-2 से ए-4 तक कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि निहत्थे शिकायतकर्ता के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तीन फ्रैक्चर हुए और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जहां तक ए-1 का संबंध है, उसकी आयु लगभग 75 वर्ष है; वह पहले कभी दोषी नहीं रहा है; उसका पिछला इतिहास साफ है; तथा उसने आठ वर्षों तक विचारण/अपील का दंश झेला है। उनके लिए जिम्मेदार एकमात्र भूमिका उत्साह बढ़ाने की थी; उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसने पीड़ित को घायल करने में सह-दोषियों की मदद नहीं की। शुरुआती टकराव ए-2 के साथ हुआ था। प्रारंभिक टकराव ए-2 के

साथ हुआ था। घटना की उत्पत्ति और उद्गम को ध्यान में रखते हुए तथा उसकी आयु, आचरण, पूर्ववृत्त और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायिक हित में होगा कि उसे तत्काल कोई सजा देने के बजाय, उसे अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया जाए। तदनुसार, ए-1 को 30,000/- रुपए की राशि के मुचलके पर पर रिहा किया जाएगा, साथ ही इतनी ही राशि का एक जमानतदार भी होगा, ताकि विचारण न्यायालय को संतुष्टि हो सके कि वह दो साल के दौरान जब भी बुलाया जाएगा, पेश होगा और सजा भुगतनेगा और इस बीच, अच्छा आचरण बनाए रखेगा और ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा। आवश्यक मुचलका सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे। ए-1, 1 लाख रुपए जमा कराएगा जिसका भुगतान पीड़ित को मुआवजे के रूप में पंद्रह दिनों के भीतर विचारण न्यायालय में किया जाएगा। पीड़ित-रमेश किरार को उचित नोटिस के बाद मुआवजा जारी किया जाएगा।

15. धारा 1 से क-4 तक की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 325/34 के मामले में सजा आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि ए-1 को परीक्षा पर रिहा कर दिया जाएगा और पीड़ित को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। आप.अ.संख्या 680/2012 उक्त शर्तों में निपटाया जाता है। आप.अ.संख्या 689/2012, आप.अ. संख्या 676/2012 और आप.अ. संख्या 675/2012 खारिज कर दी गई है।

16. बरी किए जाने के खिलाफ ए-2 द्वारा दायर आप.अ.संख्या 857/2012

खारिज कर दिया।

17. शिकायतकर्ता द्वारा सजा बढ़ाने के लिए दायर आप.अ.सं. 1036/2012 खारिज की जाती है।

18. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजे जाएं। ए-2, ए-3 और ए-4 को अपनी सजा की शेष अवधि काटने के लिए 6 जून, 2014 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। ।

(एस.पी.गर्ग)

न्यायाधीश

मई 30, 2014/ टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।